9013902 IV- 582/ 2022

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

DINESH KUMAR GUPTA SHCIL ACC CODE UP14347304 SADAR, LUCKNOW

₹750

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP27017556777766U
Certificate Issued Date	:	27-Jun-2022 11:30 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14347304/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1434730445869626094098U
Purchased by	:	AIAUUDC TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AIAUUDC TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AIAUUDC TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

STAMP PAPER USED
Sub-Registrar (III) Lucknow Sadar (U.P.)

₹750

IN-UP27017556777766U

Please write or type below this line

Deed Writer Mob. 9415403670

Deed Writer Mob. 9415403670

Deed Writer Mob. 9415403670

JD 0000801050

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

स्टाम्प शुल्क देय : 750/– रूपया

वार्ड : लाल बहादुर शास्त्री

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

न्यास का नाम – अखिल भारतीय अनएडेड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एसोसिएशन ट्रस्ट

हम कि डा0 राम जगदीश सिंह चौहान पुत्र स्व0 राम सरन चौहान निवासी– भवन संख्या–628, एस0–73, जी–2, शक्ति नगर इन्दिरा नगर शहर लखनऊ उ0 प्र0–226016 का हूँ : **मुख्य न्यासी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष**

एवं

अनुराग सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह निवासी डी–2/232, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 : सचिव/जनरल सेक्रेटरी

एवं

संजीव कुमार पुत्र श्री जगत नरायण निवासी–ग्राम हमीरपुर जिला हमीरपुर उ0प्र0 –210301, वर्तमान निवासी 209, आर्यनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार का हूँ :– न्यासी/सदस्य

विदित हो कि हम पक्षकारान सार्वजनिक हित, युवा उत्थान एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु एक न्यास का गठन किया है जो निम्नवत है–

1. यह कि न्यास का नाम **अखिल भारतीय अनएडेड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एसोसिएशन ट्रस्ट** है।

2. यह कि न्यास का गठन अंकिन 5,000/– रूपये (पांच हजार रूपये) से आरम्भ किया जा रहा है।

3. यह कि हम मुकिरान द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्टर्ड कार्यालय 628–एस–73–जी–9, शक्ति नगर इन्दिरा नगर शहर लखनऊ में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके कार्यालय देश व प्रदेश की राजधानी व विश्व के अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा। न्यास का कार्य क्षेत्र विश्व कल्याण की दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व होगा।

4. यह कि हम मुकिरान न्यास मजकूर के संस्थापक होगें तथा क्रमशः न्यास के मुख्य न्यासी अध्यक्ष तथा न्यासी प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिरान द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है, न्यास की न्यासी नामित किया जाता है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को भी न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी, न्यासी प्रबन्धक, व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा।

<u>न्यास का उदेदश्य निम्नलिखित है–</u>

(1) सम्पूर्ण भारत देश में समाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना ।

(2) महामानव भगवान गौतम बुद्ध मां सावित्री बाई फुले राजवैध जीवक व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिद्धान्तो, विचारो एवं दर्शन का प्रचार–प्रसार करते हुए करूणा, मैत्री एवं एकता की भावना पैदा करते हुए वैज्ञानिक समाज की स्थापना करना।

(3) राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को मद्देनजर रखते हुए युवा वर्ग में साप्रदायिक सद्भाव हेतु सभाये, सेमीनार, बैठके तथा नुक्कड़ सभाओ का आयोजन करना।

(4) विभिन्न वर्गो से उपेक्षित छात्र छात्राओ के चौमुखी विकास व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक शिक्षा दिलाने हेतु प्राईवेट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी (Private Autonomous University) मेडिकल कालेज डिग्री कालेज व विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओ की स्थापना करना।

(5) न्यास के अन्तर्गत बनने (खुलने) वाले शिक्षण संस्थान अपने नियम व कानून बनाने हेतु स्वतंत्र रहेगें लेकिन उनका संचालन न्यास से ही होगा।

(6) विश्व शान्ति स्थापना हेतु समय–समय पर सभायें, गोष्ठियां, राष्ट्रीय व अनतराष्ट्रीय कैम्पो का आयोजन करना।

(7) विश्व बन्धुता एवं जातीय व वर्गविहीन एक विज्ञानवादी समाज की स्थापना हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृतिक तकनीकी गुणों व पर्यावरण सुरक्षा हेतु विचार आदान प्रदान करने के लिए शिवरों का आयोजन करनाा।

(8) प्रतिभावन छात्र छात्राओ को आधुनिक तकनीकी भाषा संस्कृति व इतिहास की जानकारी करने हेतु देश विदेश मे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना तथा शन्ति के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठिावन लोगो को समय समय पर सम्मानित करना।

(9) पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा तकनीकी स्वास्थ एवं बौद्ध साहितय के प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व प्रिटिंग प्रेस लगवाना।

(10) बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु लोगों मे अभिरूचि प्रदान करना तथा उनमें सच्चे सामाजिक संस्कार डालना तथा उनके ज्ञानवृद्धि हेतु पुस्तकालयों की स्थापना करना। आवश्यक क्षेत्रों मे प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों को चलाकर बच्चे एवं लोगो को साक्षर करना।

(11) प्राणी मात्र के कल्याण हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष में निःशुल्क चिकित्सालयो, अनाथलयों, संरक्षण गृह, सामुदायिक भवन, विपश्यना केन्द्र एवं बुद्ध विहारो का निर्माण करना व उनका संचालन करना।

(12) देश विदेश की धार्मिक सामाजिक संस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपलब्धियो को अवगत कराने हेतु विशेषकर बौद्ध तीर्थस्थलों पर भ्रमण पर्यटन की व्यवस्था करना तथा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनो मे भाग लेकर नई तकनीकी एवं विकास नीतियो की सम्पूर्ण जन समुदाय को जानकारी उपलब्ध कराना।

(13) बेघर बेचारी एवं असहाय महिलाओ को विधि सहायता न्यास एवं अधिकार दिलाने तथा उन्हे दस्तकार बनाकर सम्मानजनक जीवन यापन करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना, महिलाओ के पूर्ण विकास एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु महिला संगठनो की स्थापना करवाना।

(14) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे रहने वाले छात्र छात्राओ एवं लोगो के सम्पूर्ण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड एवं सम्बन्धित विभागों से सहयोग से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं द्वारा अत्मनिर्भर बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई कताई बुनाई हसशिल्प कला दरी कालीन पेटिंग टंकण कम्प्यूटर ब्यूटीशिन टी0वी0 व रेडियां रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हे स्वावलम्बी बनाना।

(15) निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु केन्द्रीय एवं उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोड/आयोजन आदि के वित्तीय सहयोग/ऋण से ग्रामोद्योग की स्थापना करना चलाना एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओ का उत्पादन करना एवं उसकी बिक्री करना। प्राप्त आय को न्यास के हितार्थ व्यय करना।

(16) देश के निर्धन, अनाथ असहाय, बेघर विकलांग अन्धे गुंगे बहरे पिछडे दलित एवं अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओ के संर्वागीण विकास हेतु शिक्षण संस्थानों प्रशिक्षण केन्द्रो तथा छोत्रावासो की स्थापना करना तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से सम्बनिधत विभागों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय युनिसेफ महिला एंव बाल विकास विभाग कापार्ट

नाबार्ड बाल विकास पुष्ठाहार युनेस्को महिला कल्याण विभाग, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आदि के वित्तीय सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ व कार्यक्रम को चलाकर लाभान्वित करने का प्रयास कना।

(17) निर्धन एवं असहाय छात्र छात्रओ एवं लोगो को शिक्षा द्वारा प्रशिक्षत करना एवं उनके लिए निःशुल्क दैनिक अभ्यास पुस्तिकाओ एवं पुस्तको का मुद्रण प्रकाशन व वितरण करना। निःशुल्क कोचिंग छात्रावासो की व्यवस्था करना, सामाजिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन करना एवं उनके शारीरिक विकास हेतु खेल कूद व्यायाम आदि का प्रबन्ध करना।

(18) इलेक्ट्रानिक्स तकनीकी पाठ्यक्रमां के सैद्धान्तिक प्रयोगात्मक क्रियात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं बच्चो के लिए पूर्व प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना व संचालन करना।

(19) बेरोजगारी दूर करने हेतु युवक युवतियों की तकनीकी कार्य सिखाना एवं लघु कुटीर उद्योगों को चलाने हेतु उचित परामर्श सहयोग तथा प्रोत्साहन देना।

(20) छात्रो की वृत्तियों अनुवृत्तियों पुरस्कार व उपहार प्रदान करना उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी छात्रो को छात्रवृत्तियों प्रदान करनां

(21) गांवो एवं शहरों के युवा वर्ग को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, गांवों मे डेयरी फेडरेशन प्रशिक्षण केन्द्र एवं उससे सम्बन्धित केन्द्रो की स्थापना करना।

(22) पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु सामाजिक वानिकी हरित क्रान्ति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पौधों की नर्सरी वृक्षारोपरण कराना व शहरो में इंसीनेजटर लगवाना।

(23) देश की एकता अखण्डता एवं मानवीय सद्भावना के कार्यक्रमों का आयोजन व प्रचार के माध्यम से जन जन में देश प्रेम की भावना जागृत करके आपस में भाई चारे की भावना जागृत करना।

(24) दैवी प्राकृतिक प्रकोप जैसे महामारी, हैजा, बाढ़, अग्निकांड में यथा योग्य सेवा सहायता तथा दवाइयों का उचित प्रबन्ध करना एवं सचल स्वास्थ्य सेवाओ की व्यवस्था करना।

(25) मानव उत्थान एवं कल्याण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय स्वास्थ विभाग राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय व अनतराष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थओ को सहायता देना एवं प्राप्त कराना।

(26) मानव मात्र के लिए जगह–जगह चिकित्सालयो दवाखानो अस्पतालो नार्सिंग होम्स की स्थापना करना तथा अनुभवी बेरोजगारी डाक्टरों नर्सो कम्पाउण्डरो इत्यादि को रोजगार दिलाने मे सहायक होगा।

(27) मादक पदार्थो (नारकोटिक्स एवं ड्रग्स) की लत की रोकथाम हेतु निवारण केन्द्र स्थापति करना एवं एड्स कोरोना आदि जैसी भंयकर बीमारी रोकने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा लोगो को सचेत करने सम्बन्धी उपाय बताना।

(28) प्राचीन धार्मिक स्थलों पुरावशेष एवं भवनों की जीर्णोद्वार करना प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में लगाव रखने वाले परिवारों का उत्थाना करना हस्तशिल्पकारो का विकास एवं धार्मिक स्थलों की स्थापना करना तथा उनका संचालन एवं सहायता करना।

(29) ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ की दृष्टि से ही कार्य नही करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा।

(30) ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर मे ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

(31) आम जन को परिश्रम करके धन अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा न्यास की योजनाओं से अन्य लोगों को जोड़कर नेटवर्क के आधार पर कार्य करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।

(32) समाज के लोगों के लिए उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हो, को आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

(33) नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नाताकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

(34) वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान के जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

(35) न्यास के माध्यम से पिछड़े श्रेत्रों में महिला केन्द्र वाचनायल बी० एड०, आई०टी०ई०पी०, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, अखिल भारतीय तक्नीकि शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली तथा विधि के अन्तर्गत बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं अन्य संगीत ड्रामा कालेजो व राष्ट्रीय फिल्म निर्माण, न्यूज चैनल, मीडिया हाउस आदि से जुडे पाठ्यक्रम को संचालित करना एवं अन्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।

(36) सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय समय पर खेल कूद तथा सांस्कृतिक शैक्षणिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्टी का आयोजन करना।

(37) सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना।

(38) भारतीय नागरिको के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो न्यास मण्डल संकल्पित करे जैसे मद्यनिषेध कार्यक्रम परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम विकलांगता दूर करना कुष्ठ निवारण कार्यक्रम उत्थान के कार्यक्रम आदि।

(39) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतो पेट्रोलियम बचत सड़क सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण बुंधवा मजदूरी उन्मूलन दहेज उन्मूलन मद्य निषेध महिलाओं को समानता का अधिकार पंचायती राज भारत सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमो का क्रियान्वयन करना।

(40) खाद्य प्रसंसकरण एवं फल संरक्षण के कार्यक्रमो को संचालित करना तथा केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करना कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना कृषक प्रशिक्षण केन्द्र नर्सरी, टिश्यू कल्चर एवं कृषि उत्पादन तथा विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्य करना।

(41) पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण ऊसर भूमि सुधार शौचालय जनजागरण सार्वजनिक काम्पलेक्स स्वच्छ जल आपूर्ति आदि कार्यक्रमो का प्रशिक्षण अनुसंधान तथा प्रचार प्रसार का कार्य करना।

(42) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ आयोग द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना करके स्थानीय स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना तथा क्षेत्र के लोगों में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करते हुए उन्हे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग की तकनीकी नीतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना तथा समस्त आय को संस्था के उद्देश्य पूर्ति व चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

(43) लोगों को अल्प ऋण के प्रति प्रेरित करना तथा स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना तथा इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष नाबार्ड सिडबी आदि से ऋण /अनुदान प्राप्त करना।

(44) मत्सय पालन विभाग समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

(45) विज्ञान का जीवन में उपयोग के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाना तकनीक पर आधारित कम लागत में भवन/ आवास कृषि यन्त्र /दैनिक उपयोग की वस्तुओं से

सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानान्तरण तथा प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।

(46) आदिवासी पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति तथा थारू समुदाय के सामाजिक शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करना।

(47) केन्द्र /राज्य के मन्त्रालयों/ विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना उनके विभागों /अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुचाने के लिए माध्यम का कार्य करना।

(48) विद्यालय वाचनालय निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, स्टेडियम, वृद्धगृह, गौशाला इत्यादि का निर्माण करना।

(49) वाटरशेड (जल संग्रहण क्षेत्र) विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अकृषिक भूमि एवं जल संसाधन विकास कार्यो का सम्पादन शासन/ भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित करना।

(50) भारत वर्ष के सभी राज्यों मे विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयो, NCTE, AICTE, PCI, MCI, UGC, व समस्त महाविद्यालयो के सम्मुख आने वाली नीतिगत समास्याओ का निदान कराना एवं आवश्यकता पड़ने पर उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं देश के सभी राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों में न्याय पाने के लिये अपील करना।

(51) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों मे आने वाली सभी प्रकार की समास्याओ के निदान हेतु पैरवी करना एवं उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली एवं देश के सभी राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों मे सभी प्रकार के न्याय प्राप्त करने हेतु मुकदमे की पैरवी करना।

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी –

(क) न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन अध्यक्ष होगें जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी को नागित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने से पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो उसके विधिक उत्तराधिकारी स्वमेव न्यास के मुख्य न्यासी हो जायेगें किन्ही परिस्थितियों में यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हो तो उनमें से मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनके योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

(ख) मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में बीमारी या कार्य करने की अक्षमता आदि की अवस्था में प्रबन्धक न्यासी स्वतः मुख्य न्यासी के कार्यो से सम्पादन हेतु विधिक रूप से अधिकृत होगें।

(ग) न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितो के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हे न्यास से प्रथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा मुख्य न्यासी अति विशेष परिस्थितियों में मुख्य न्यासी अध्यक्ष तथा न्यासी प्रबन्धक संयुक्त रूप से आपसी सहमति के आधार पर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य किसी भी वैज्ञानिक डाक्टर व्यापारी उद्योगपति इंजीनियर तथा सामाजिक कार्यकर्ता को न्यासी के रूप में रख सकते है तथा वे न्यास मण्डल के स्वतः सदस्य कहलायेगें।

(घ) यदि कोई न्यासी इस न्यास के पृथक नही किया जाता है तथा उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा ओर उनकी मृत्यु या स्वेच्छा पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यासी के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल में सम्मिलित होकर उनके द्वारा कार्य करने में असर्मथा व्यक्त करने पर न्यास मण्डल द्वारा किसी अन्य हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(ड.) न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं समितियों तथा नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रबंधक /सचिव व प्रधान तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी अथवा न्यास प्रबन्धक द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा वार्षिक बैठक में अनुपस्थिति व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

(च) वार्षिक बैठक में न्यास के साल भर के कार्य कलापों पर विचार होगा और आय व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा विचारोपरान्त बहुमत से पारित निश्चत एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अंतिम होगा।

<u>न्यास के कोष</u> –

(क) न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क नेटवर्क के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान दान अनुदान चन्दा एवं सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गयी ऋण राशियां निहित होगी।

(ख) न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए उसका खाता किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत /निजी मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा किसी अन्य न्यासी अथवा प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

न्यास के अभिलेख –

न्यास के अभिलेखो को तैयार कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी –

(क) यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंको इत्यादि से दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होगें।

(ख) यह कि मुख्य न्यासी अथवा प्रबन्धक न्यासी की ओर से स्थापित संस्थाओं सम्पत्तियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेगें या किसी भी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें न्यास मण्डल न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा एवं किराये पर लेने का भी अधिकार रहेगा तथा सम्पत्ति को विक्रय भी कर सकेगा।

(ग) यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने वालो को दण्डित करने का अधिकार मण्डल को प्राप्त होगा न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

8. न्यास के आय व्यय व लेखा परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जा सकेगी।

9. न्यास द्वारा या न्यास के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में न्यासी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

10. न्यास के अधीन स्थापति संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त न्यास अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एव प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

11. न्यास मण्डल न्यास के लिए वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हितो के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

12 वर्तमान समय मे न्यास के नाम से कोई भी अचल सम्पत्ति नही है।

13. न्यास के अधीन समस्त संस्थाओं के पत्राचार /नियुक्ति पत्र विधिक कार्यवाही आदि प्रशासनिक कार्यो का सम्पादन मुख्य न्यासी अध्यक्ष अथवा न्यासी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

14. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्ते लागू होगी।

यह विलेख आज दिनांक 27.06.2022 को समक्ष गवाहान निष्पादित किया गया।

लखनऊ

दिनांक : 27.06.2022

साक्षीगण

1. [illegible]

पता [illegible] LKO

2. [illegible]

पता [illegible] 1166 [illegible] LKO

हस्ताक्षर

टाईपकर्ता

(अर्पित गुप्ता)

मसविदाकर्ता
Sanjay Kumar Srivastava
B.A. L.L.B.
Deed Writer
Mob. 9415403670

आवेदन सं०: 202200821043674

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 662 के पृष्ठ 233 से 254 तक क्रमांक 582 पर दिनाँक 27/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कामना राय
उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ
27/06/2022